मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

खट्टर द्वारा बूस्टर उद्घाटन के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं 2
भाजपा जनादेश का आदर कर जोड़ तोड़ से बाज आए 4
सर्वहारा के महान शिक्षक फ्रेडेरिक एंगेल्स का जन्मदिन 5
महिलाओं के खिलाफ हिंसा में साम्प्रदायिकता का तड़का 6
बेवकूफ़ बनाने के लिये आयुष्मान नाटक का मंचन 8

वर्ष 37 | अंक 3 | फरीदाबाद | 4-10 दिसम्बर 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

गदपुरी टोल: कम्पनी की लूट, हाईकोर्ट दे रही छूट

पलवल (म.मो.) शासक वर्ग की मिलीभगत से जनता को लूटने के लिये दिल्ली-मथुरा रोड पर गदपुरी के स्थान पर टोल नाका लगा दिया गया। कुछ दलाल नेताओं ने इसका नकली सा विरोध भी किया।

शहर के पूर्व विधायक एवं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रह चुके करण दलाल ने इस अवैध टोल नाके के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका अगस्त 2022 में दायर की थी। याचिका में स्पष्ट लिखा गया था कि यह नाका टोल के नियमों के विरुद्ध लगाया गया है। नियमों के अनुसार एक टोल नाके का दूसरे टोल नाके से जो फासला होना चाहिये, उसकी उल्लंघना करके यह नाका लगाया गया है। नियमों के अनुसार काम पूरा होने के बाद ही टोल वसूला जा सकता है जबकि पलवल में बनाई गई एलिवेटिड सड़क अभी अधूरी है तथा बल्लबगढ़ वाला चार लेन का रेलवे ओवरब्रिज छः लेन का बनाना था जो अभी तक शुरू नहीं किया गया।

याचिका में तमाम तथ्यों के सबूत दे दिये गये थे। हाईकोर्ट ने तमाम सबूत देखने के बावजूद न तो टोल कम्पनी की लूट पर कोई स्थगन आदेश दिया और न ही तुरन्त सुनवाई शुरू की।

कम्पनी को खुली लूट जारी रखने का समय देते हुए सुनवाई की तारीख 30 नवम्बर रख छोड़ी। इस तारीख पर भी न तो टोल स्थगित किया गया और न ही कोई विस्तृत सुनवाई की गई। केस को लम्बा खींचने व उलझाये रखने के लिये एक जांच कमीशन का ड्रामा रच दिया। यह कमीशन याचिका में लगाये गये आरोपों की जांच करेगा।

है न कमाल। गदपुरी से करमन स्थित टोल तथा बदरपुर स्थित टोल का फासला हाईकोर्ट के सिवाय सबको दिख रहा है। इसके अलावा बल्लबगढ़ रेलवे ब्रिज तथा पलवल की अधूरी एलिवेटिड सड़क अंधे को भी दिखाई दे रही है। लेकिन यह सब हाईकोर्ट को दिखाने के लिये उक्त कमीशन गठित करने का आदेश दिया गया है। यह कमीशन एक फरवरी 2023 को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा।

याचिकाकर्ता पूर्व विधायक करण सिंह दलाल

दिखावे के लिये हाईकोर्ट ने कम्पनी तथा राजमार्ग प्राधिकरण को खूब हड़काया। इस 'हड़कावे' से जनता को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, हां यदि इस हड़कावे की जगह टोल को स्थगित किया जाता तो जनता को राहत मिल पाती।

रेलवे की लापरवाही : मौत के मुंह में जाते 6 यात्रियों को सिपाही रवि ने बचाया

फ़रीदाबाद (म.मो.) प्रायः रेलवे स्टेशनों पर यात्रीगण हड़बड़ी के कारण एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जाने के लिये पुल के बजाय पटरियों से पार करने का प्रयास करते हैं।

इस प्रयास में कभी सफल भी होते हैं तो कभी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही एक हादसा 29 नवम्बर को ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर होते-होते बचा।

हुआ यूं कि एक नम्बर प्लेटफार्म पर खड़ी गीता जयंती एक्सप्रेस से उतर कर कुछ सवारियां पटरियां पार करके प्लेटफार्म नम्बर दो पर जाने लगी। इस प्रयास में 6 सवारियां, दिल्ली-मुम्बई तेजस एक्सप्रेस की चपेट में आने से इसलिये बच पाई कि आरपीएफ के एक सिपाही रविकुमार ने अपनी जान पर खेल कर उन्हें बचा लिया। सिपाही रवि ने पूरी रफ्तार से आती तेजस को देख कर समझ लिया कि यदि 10-20 सेकेंड में इन्हें ट्रैक से न हटाया गया तो ये सभी कट मरेंगे। उन्हें चीख-चिल्ला कर चेतावनी देने का भी कोई लाभ न हुआ तो उसने खुद ट्रैक पर कूदकर उन्हें ट्रैक से बाहर किया।

रवि की तत्परता एवं बहादुरी से आज इनकी जान तो बच गई, नहीं तो क्या होता ? वे 6 की 6 सवारियां कट मरती। रेलवे एवं पुलिस कुछ काग़ज काले करके इसकी रिपोर्ट बनाते, रेलवे उनकी मौत पर खेद व्यक्त करते हुए मरने वालों को ही दोषी ठहराता। ठीक है मरने वाले तो मर कर अपने दोष की सजा पा लेते हैं, परन्तु उनको दोषी बनाने वाले रेलवे को कोई पूछने वाला नहीं। सुधि पाठकों ने अनेकों स्टेशनों पर ट्रैकों के बीच में ग्रिल लगी देखी होंगी ताकि कोई भी सवारी ट्रैक पार न कर सके, इस तरह की ग्रिल हर स्टेशन पर क्यों नहीं लगाई जाती ?

जान जोखिम में डालकर ट्रैक इसलिये भी पार करना पड़ता है कि स्टेशनों पर पर्याप्त पुल नहीं होते। यदि स्वचालित सीढ़ियों वाले पर्याप्त पुल हों तो कोई क्यों जान को जोखिम में डालकर ट्रैक पार करेगा ? फरीदाबाद स्टेशन पर इस कमी को पूरा करने के लिये फ़रवरी 2019 मे एक स्वचालित सीढ़ियों वाला पुल बनाया गया था, जो केवल कुछ दिन ही चलकर ठप्प हो गया, शायद पुल बनाने वाली कम्पनी से कमीशन कुछ ज्यादा ही वसूला गया था। काफ़ी समय खराब रहने के बाद ये सीढ़ियां कभी-कभी चालू कर दी जाती हैं।

कई बार रेलवे कर्मचारी खुद भी हादसों को न्योता देने के लिये पूर्व इंगित प्लेटफार्म पर आने वाली ट्रेन का प्लेटफार्म ऐन आखिरी वक्त पर तब बदल देते हैं जब ट्रेन आउटर सिग्नल पार करके स्टेशन की ओर बढ चुकी होती है। ऐसे में यात्रियों में भगदड़ मचना व सीधे ट्रैक पार करना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे उदाहरण फरीदाबाद, नई दिल्ली स्टेशनों पर देखने को खूब मिलते हैं।